

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक-प्र02/बि.स्टे.पा.(हो.)कं.लि. -05/2013(खण्ड-1)-

/पटना, दिनांक-

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय :- पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का दिनांक-31.10.2012 तक की अवधि में अनफण्डेड टर्मिनल बेनिफिट दायित्व के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उपबंधित राशि 757.63 करोड़ (सात सौ संतावन करोड़ तिरसठ लाख) रुपये बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 को पाँच समान किस्तों में उपलब्ध कराने की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत राशि का प्रथम किस्त के रूप में 151.526 करोड़ (एक सौ इक्यावन करोड़ बावन लाख साठ हजार) रुपये बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

ऊर्जा विभागीय अधिसूचना संख्या-17 दिनांक 30.10.2012 के द्वारा अधिसूचित बिहार राज्य विद्युत सुधार अन्तरण स्कीम, 2012 की कंडिका-6.14 एवं 6.15 के अनुसार बोर्ड के कर्मचारियों एवं पेन्शनभोगियों से संबंधित प्रभावी तिथि (31.10.2012) तक के कोष रहित दायित्वों का भुगतान जीवनांकिक मूल्यांकन (Actuarial Valuation) के आधार पर राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 के माध्यम से किया जाना है।

2. वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 द्वारा सेवांत लाभ दायित्वों का निर्धारण हेतु जीवनांकिक मूल्यांकन (Actuarial Valuation) कराया गया है, जिसके आधार पर वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 द्वारा सेवांत लाभ के भुगतान हेतु 893.63 करोड़ (आठ सौ तिरानवे करोड़ तिरसठ लाख) रुपये आकलित करते हुए बजट उपबंध की राशि 757.63 करोड़ (सात सौ संतावन करोड़ तिरसठ लाख) रुपये सेवांत लाभ के भुगतान हेतु अधियाचना प्राप्त है, जिसे उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

3. उक्त आलोक में पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का दिनांक-31.10.2012 तक की अवधि में अनफण्डेड टर्मिनल बेनिफिट दायित्व के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उपबंधित राशि 757.63 करोड़ (सात सौ संतावन करोड़ तिरसठ लाख) रुपये बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 को पाँच समान किस्तों में उपलब्ध कराने की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत राशि का प्रथम किस्त के रूप में 151.526 करोड़ (एक सौ इक्यावन करोड़ बावन लाख साठ हजार) रुपये बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. बजट मांग संख्या-10, मुख्य शीर्ष "2801-विद्युत, उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य लघु शीर्ष-190-सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता" उप शीर्ष-0005-बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0-सेवोत्तर लाभ (टर्मिनल बेनिफिट) विपत्र कोड-10-28018019000005, विषय शीर्ष-31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना चालू खाता संख्या-10839114909 एवं IFSC Code-SBIN0000153 में की जायेगी।
6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-7355 दिनांक-05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
7. उक्त योजना की स्वीकृति पर सक्षम प्राधिकार मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या-प्र02/बि.स्टे.पा.(हो.)कं.लि.-05/2013(खण्ड-1) के पृष्ठ संख्या-56/टि0 पर दिनांक-23.09.2026 को प्राप्त है।
8. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-प्र02/प्र02/बि.स्टे.पा.(हो.)कं.लि.-05/2013(खण्ड-1) के पृष्ठ संख्या-58/टि0 पर दिनांक-25.09.2026 को प्राप्त है।
9. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(सुधा गुप्ता)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-प्र02/बि.स्टे.पा.(हो.)कं.लि.-05/2013(खण्ड-1)-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-प्र02/बि.स्टे.पा.(हो.)कं.लि.-05/2013(खण्ड-1)- 4966 /पटना, दिनांक- 29.09.2026

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बजट शाखा/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 एवं आईटी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।